संख्या-8/2016/230/84-1-16-21बामा/2009टी.सी.-3

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 30 मार्च, 2016

विषय- कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीय मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-434/निविमावि-लेखा-7(25)भासयो-5/2015 दिनॉक 18.11.2015 पत्र संख्या-69/निविमावि-लेखा-7(25) भासयो-5/2016 दिं0 29.02.2016 एवं पत्र संख्या-72/निविमावि-लेखा-7(25)भासयो-5/2015 दिं0 29.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यमानक प्रयोगशाला मेरठ, फतेहपुर एवं बॉदा के भवनों के निर्माण हेतु क्रमश रू0 77,66,000/-, रू0 36,11,000/- एवं रू0 60,42,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये गत वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्या 01/214/84-1-15-21बामा/2009टी.सी.-3 दिं0 20.01.2015 एवं शासनादेश संख्या 03/1215/84-1-14-21बामा/2009टी.सी.-3 दिं0 20.01.2015 द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 71,81,000/- (रूपये इकहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करतें हैं -

क्र0सं0	कार्यमानक प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1	2	3	4
1	कार्यमानक/द्वितीयमानक प्रयोगशाला, मेरठ	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत 77,66,000	25,28,000
2	कार्यमानक प्रयोगशाला, फतेहपुर	36,11,000	11,11,000
3	कार्यमानक प्रयोगशाला, बॉदा	60,42,000	35,42,000
		योग-	71,81,000

(रूपये इकहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र)

1- प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप दिनांक 30-9-2016 तक पूर्ण कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- शासनादेश संख्या 01/214/84-1-15-21बामा/2009टी.सी.-3 दिं0 20.01.2015 एवं शासनादेश संख्या 03/1215/84-1-14-21बामा/2009 टी.सी.-3 दिं0 20.01.2015 की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01- केन्दीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला/कार्यमानक प्रयोगशाला/कैलिब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-8/2016/230(1)/84-1-16-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम सम्प्रति यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन एण्ड इन्फरास्टक्चर डेवलेपमन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in